संख्या- 663 /26-ब0प्र0-2013-2709(बजट)/2012

प्रेषक,

दीनानाथ

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2013

विषय:- उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पारेषण कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक(वित्त) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-460/मु0म0प्र0(वित्त)/एफ-1, दिनांक 01.06.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0 2,18,00,00,000/- (रू0 दो अरब अटठारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 1,18,00,00,000/- (रू0 एक अरब अटठारह करोड़ मात्र) की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि स्वीकृत धनराशि को वर्ष 2013-14 में कराये जाने वाले पारेषण कार्यो पर व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग ई0टी0एफ0 द्वारा अनुमोदित कार्यो के लिए ही किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि का प्रस्ताव करते समय वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित एवं ई0टी0एफ0 से अनुमोदित पारेषण कार्यो का स्थलवार विवरण, लागत, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, अब तक कराये गये कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सूचीबद्ध विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहां से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्टि शर्तो का अनुपालन निदेशक(वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते

http://shasanadesh.up.nic.in

हुए किया जायेगा। प्रयास यह करें कि ज्यद्दा से ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति को भी लाभ इस योजना से मिलें।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूंजी-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2245/दस-2013, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 663(1)/26-ब0प्र0-2013-तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. राज्य योजना आयोग-1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in